रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2018/माघ 24, 1939
No. 83] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2018/MAGHA 24, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 167 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अन्वेषक (गृह मंत्रालय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय) भर्ती नियम,1984, **ज्येष्ठ** अन्वेषक (गृह मंत्रालय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय) भर्ती नियम,1985 **और** अनुसंधान अधिकारी (गृह मंत्रालय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय) भर्ती नियम,1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त काडर में अनुसंधान अधिकारी, ज्येष्ठ अन्वेषक और अन्वेषक समूह ख पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3 पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता .— वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अनुसंधान अधिकारी	16* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -8 (47600-151100 रू)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति .—** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	(**i**)55 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा**;** द्वारा**;** (**ii**) 45 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा द्वारा ।

भर्ती की पद्धति.— भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(11)

प्रोन्नति.— ऐसे ज्येष्ठ अन्वेषक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400/-रु) के साथ दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा छह कार्य दिवसों की अवधि का विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

टिप्पण .— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं, पब्लिक सैक्टर उपक्रमों, स्वायत अथवा कानूनी संगठनों के अधीन अधिकारी :

(क) (**i**) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(**ii**) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400/-)के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों –

(**i**) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान या अर्थशास्त्र या मानव शास्त्र या सामाजिक मानव शास्त्र या अनुप्रयुक्त मानव शास्त्र या सांख्यिकी या मनोविज्ञान या भूगोल या गणित (सांख्यिकी के साथ) में मास्टर डिग्री;

(ii) सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सर्वेक्षण या अनुसंधान संचालित करने का दो वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत डाटाओं का विश्लेषण और रिपोर्टें तैयार करना भी है ।

टिप्पण 1—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति(जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– **(i)** निदेशक/उपनिदेशक**,** अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग – अध्यक्ष **(ii)** अवर सचिव**,** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय –सदस्य **(iii)** अवर सचिव**,** अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग – सदस्य	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ अन्वेषक	25* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -7 (44900-142400 रू)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
30 **वर्ष से अधिक नहीं** (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए **5** वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।**)** **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**आवश्यक –(i)** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान या अर्थशास्त्र या मानवशास्त्र या सामाजिक-मानव शास्त्र या अनुप्रयुक्त मानवशास्त्र या सांख्यिकी या मनोविज्ञान या भूगोल या गणित (सांख्यिकी के साथ) में मास्टर डिग्री; (ii) सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सर्वेक्षण और अनुसंधान संचालित करने का एक वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत डाटाओं का विश्लेषण या रिपोर्टें तैयार करना भी है । **टिप्पण 1** - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2**- अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले

	उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
नहीं।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है; (ii)25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है; (iii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(11)
प्रोन्नति : ऐसे अन्वेषक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400/-रु) के साथ पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा छह कार्य दिवसों की अवधि का विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों मान्यताप्राप्त या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या स्वायत अथवा कानूनी संगठनों के अधीन अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400/-रु) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या (ख) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों । **टिप्पण 1**—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त (जिसमें अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**-- प्रतिनियुक्ति(जिसमें अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसमें अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
I **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–** (i) निदेशक/उपनिदेशक, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग – अध्यक्ष (ii) अवर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय –सदस्य (iii)अवर सचिव, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग – सदस्य II समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- (i) निदेशक/उप निदेशक, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग – अध्यक्ष (ii) अवर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय –सदस्य (iii)अवर सचिव, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक **नहीं** है

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अन्वेषक	29*(2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -6 (35400-112400 रू)	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
30 **वर्ष से अधिक नहीं** **(**केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए **5** वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।**)** **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार	**आवश्यक –(i)** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान या अर्थशास्त्र या मानव शास्त्र या सामाजिक-मानव शास्त्र या अनुपयुक्त मानव शास्त्र या सांख्यिकी या मनोविज्ञान या भूगोल या गणित (सांख्यिकी के साथ) मास्टर डिग्री **वांछनीय –** सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण या अध्ययन का संचालन करने और रिपोर्ट तैयार करने में एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1** - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**<u>टिप्पण 2</u>**- अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हो, में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा संकेगी।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(11)
लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- (i) निदेशक/उपनिदेशक, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग – अध्यक्ष (ii) अवर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय –सदस्य (iii)अवर सचिव, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग सेपरामर्श करना आवश्यक **नहीं** है

[फा. सं. 17016/20/2017-एससीडी-VI]

यू. वेंकटेश्वरलू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department Of Social Justice And Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2018

G.S.R. 167 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Investigator (Ministry of Home Affairs, Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Recruitment Rules, 1984, the Senior Investigator (Ministry of Home Affairs, Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Recruitment Rules, 1985, and the Research Officer (Ministry of Home Affairs, Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Recruitment Rules, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' posts of Research Officer, Senior Investigator and Investigator in the joint cadre of the National Commission for Scheduled Castes, the National Commission for Scheduled Tribes and the Ministry of Social Justice and Empowerment, namely:-

1. **Short title and commencement.- (1)** These rules may be called the Ministry of Social Justice and Empowerment, the National Commission for Scheduled Castes and the National Commission for Scheduled Tribes, (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.–** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4 **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.,.–** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. —** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. —** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or Non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Officer.	16* (2018) * Subject to variation depending upon workload.	General Central Service, Group 'B', 'Gazetted' Non-Ministerial.	Level-8 (Rs 47600-151100/-)	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
(i) 55% by promotion failing which by deputation failing which by short-term contract; and (ii) 45% by deputation failing which by short-term contract.	Promotion: Senior Investigator in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400/-) with two years regular service and having successfully completed the specified training of six working days duration by the Department. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

	Deputation (Including short-term contract): Officers of the Central Government, State Government, Union territories, universities, recognized research institutions, public sector undertakings, autonomous, or statutory organizations: - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400/-)in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification, and experience as under- (i) Master's degree of a recognized university or Institution in Social Work or Sociology or Economics or Anthropology or Social Anthropology or Applied Anthropology or Statistics or Psychology or Geography or Mathematics (with Statistics); (ii) two years experience of conducting survey or research in the field of social welfare including analysis of data and preparation of the reports. Note1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note2: Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is it's composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (i) Director/Deputy Secretary, National Commission for Scheduled Castes - **Chairman** (ii) Under Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment – **Member** (iii)Under Secretary, National Commission for Scheduled Castes – **Member**	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on Deputation (Including short-term contract).

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or Non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Senior Investigator.	25* (2018) Subject to variation depending upon workload.	General Central Service Group 'B', 'Non-Gazetted' Non-Ministerial.	Level-7 (Rs 44900-142400/-)	Selection.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Union territory of Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Essential: (i) Master's Degree of a recognized University or Institution in Social Work or Sociology or Economics or Anthropology or Social Anthropology or Applied Anthropology or Statistics or Psychology or Geography or Mathematics (with statistics) (ii) One year experience of conducting survey or research in the field of social welfare including analysis of data and preparation of the reports. Note1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	No.	2 years for direct recruits.

Note2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
(i) 50% by promotion failing which by deputation including short-term contract; (ii) 25% by deputation including short-term contract; (iii) 25% by direct recruitment.	Promotion: Investigator in level 6 in the Pay Matrix (Rs. 35400-112400/-) with five years regular service and having successfully completed the specified training of six working days duration by the Department. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories or universities or recognized research institutions or public sector undertakings or autonomous, or statutory organizations- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 6 in the Pay Matrix (Rs. 35400-112400/-) in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification, and experience prescribed for direct recruits under column (7).

	Note1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on Deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note2**: Period of Deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by Deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
I. Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (i) Director/Deputy Secretary, National Commission for Scheduled Castes - **Chairman** (ii) Under Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment – **Member** (iii)Under Secretary, National Commission for Scheduled Castes – **Member** II. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i)Deputy Secretary/Director, National Commission for Scheduled Castes - **Chairman** (ii) Under Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment – **Member** (iii)Under Secretary, National Commission for Scheduled Castes- **Member**	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or Non-Selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Investigator.	29* (2018) *Subject to variation depending upon workload.	General Central Service Group 'B', 'Non-Gazetted' Non-Ministerial.	Level-6 (Rs 35400-112400/-)	Not applicable.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Essential: Master's Degree of a recognised University or Institution in Social Work or Sociology or Economics or Anthropology or Social Anthropology or Applied Anthropology or Statistics or Psychology or Geography or Mathematics (with statistics). **Desirable:** One year experience in conducting socio-economic surveys or studies and in drafting report. **Note1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	2 years

Note2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	
(10)	(11)	
By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department.	Not applicable	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i)Deputy Secretary/Director, National	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Commission for Scheduled Castes - Chairman (ii) Under Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment – Member (iii)Under Secretary, National Commission for Scheduled Castes- Member	

[F. No. 17016/20/2017/SCD-VI]

U. VENKATESWARLU, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.02.20 15:54:33 +05'30'